Uttarakhand Power Corporation Limited
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
Gabar Singh Bhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone: 91-135-2763552 Fax: 91-135-2763839
EPBX No-2763672-75
Corporate Identity No. U40109UP2001SGC025867/2358

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
गबर सिंह भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः91–135–2763552 फैक्स–91–135–2763839
ई0पी0बी0एक्स0–2763672–75

पत्रांकः 3715 उपाकालि / नि0प्र0 / एन–39 दिनांकः 28 –07–2015

कार्यालय–ज्ञाप

1– उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014 की धारा 4 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट (Kwh) तक हरित ऊर्जा उपकर अधिरोपित एवं संग्रहित किये जाने का प्रावधान है।

2– सचिव, वित्त अनुभाग – 1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 550 / XXVii (1)/2015 दिनांक 17–06–2015 द्वारा उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के अर्न्तगत अधिरोपित एवं संग्रहित किये जाने वाले उपकर की दर 10 पैसे प्रति यूनिट (Kwh) निर्धारित की गयी है।

3– उपर्युक्त कम में आदेशित किया जाता है कि दिनांक 01–07–2015 से राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गयी विद्युत पर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 पैसे प्रति यूनिट (Kwh) की दर से हरित ऊर्जा उपकर अधिरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी विद्युत की बिलिंग में अन्य देयों एवं करों आदि के साथ इस उपकर का अधिरोपण भी सम्मिलित किया जायेगा।

24-7-15
(एस.एस.यादव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 3715 उपाकालि / नि0प्र0 / एन–39 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि।
2– समस्त महाप्रबन्धक(वित्त / आन्तरिक सम्प्रेक्षा / नियामक प्रबन्धन सैल), उपाकालि।
3– कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (विधि), उपाकालि।
4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), उपाकालि।
5– उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, देहरादून।
6– पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अनुभाग, उपाकालि, देहरादून।
7– समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण / सीबीएससी / परीक्षण / केसीसी), उपाकालि।
8– कार्यालय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, गढवाल एवं हरिद्वार क्षेत्र/ कुमॉऊ एवं ऊधमसिंह नगर क्षेत्र।

(ए. के. सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परियोजना एवं वाणिज्य)

प्रतिलिपिः निजी सचिव – प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (वित्त / परिचालन / मानव संसाधन / परियोजना), उपाकालि।